

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम
अ
हुक्म
म

11
01/18

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग सप.
~~अनुपस्थित~~ / पीठासीन अधिकारी
~~कोर्ट पर~~ अन्य कार्य में व्यस्त। ✓
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार जारी की
दिनांक-11/2/18 को पेश हो

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग सप.
अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी
कोर्ट पर / अन्य कार्य में व्यस्त। ✓
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार जारी की
दिनांक-11/2/18 को पेश हो

17/12
16

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग सप.
अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी
कोर्ट पर / अन्य कार्य में व्यस्त। ✓
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार जारी की
दिनांक-08/01/19 को पेश हो

08/01
19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग सप.
अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी
कोर्ट पर / अन्य कार्य में व्यस्त। ✓
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार जारी की
दिनांक-08/01/19 को पेश हो

30/01
19

वकील अर्जीगण उपरो) अर्जीगण सं० 1 ता 6
की संचित सम्पत्त लप से होकर पूरे में
लौटी है। बावजूद सम्पत्त लागत उक्त अर्जीगण
की ओर से कोई हाजिर अफालत नहीं आया
है। उक्त अर्जीगण सं० 1 ता 6 के विरुद्ध एक
पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।
बाल्टे मॉग्रेम आदेशार्थ मिलत दिनांक
05/02/19 को पेश हो।

05/02
19

पत्रावली पेश हुई। वकील अर्जीगण उपरो) वकील
अर्जीगण ने डा. पत्र बाद दापरी से संबंधित डा.
पत्र टी. अहि. को प्रतः नम्बर पर लिखे जाने का
निवेदन किया। वकील अर्जीगण के निवेदन पर
पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से



ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>स्पष्ट है कि जर्नीगण द्वारा पूर्व में पेश जा. पत्र टी. अहि. उतवानी शंभूकेवर बनाम रामस्वाम्य वगै. मुकदमा नम्बर 134/2007 पूर्व में दिनांक 25/01/2012 को अदम हाजरी एवं अदम पैखी. में खारीज किया गया है। अतः उल्लेख को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई किये जाने हेतु बाद दायी जा. पत्र दिनांक 16/4/18 को मय दफा 5 प्रियाद अधिनियम के सहित उत्तृत किया गया है। अतः जा. पत्र बाद दायी न्यायादित में स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाने पर जा. पत्र बाद दायी स्वीकार विधा जाता है। जर्नीगण का मूल जा. पत्र टी. अहि. उतवानी शंभूकेवर बनाम रामस्वाम्य वगै. मुकदमा नम्बर 134/2007 पुनः नम्बर पर लिया जाता है तथा जर्नीगण / फ़दाकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे सुनवाई हेतु दिनांक 11/03/19 को न्यायालय में उपस्थित होंगे। फ़राक्ती फ़ैसल शुमार ठेकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ़्तार है। निर्णय छुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>16/4/18 सहायक शाख (RAS) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला</p>	